रजिस्ट्री सं० डी०(डी०)-72

REGISTERED NO. D(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 62] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 7, 1978/माघ 18, 1899
No. 62] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 7, 1978/MAGHA 18, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधायी विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 1978

का०आ० 78(अ)—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है —

आंध्र प्रदेश राज्य की विधान सभा के एक निर्वाचित उम्मीदवार, श्री के० मधुसूदन रेड्डी ने 1972 में हुए साधारण निर्वाचनों में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त 'अधिनियम' कहा गया है) की धारा 8क के अधीन, जैसी कि वह निर्वाचन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 (1975 का 40) के प्रारम्भ से ठीक पूर्व थी, छह वर्ष की अवधि के लिये निरर्हता उपगत कर ली है ,

और निरर्हता को उक्त अवधि का अवसान नहीं हुआ है ,

और उक्त श्री के० मधुसूदन रेड्डी ने उक्त अवधि के अनवसित भाग के लिये निरर्हता हटाये जाने के निमित्त उक्त अधिनियम की धारा 8क की उपधारा (2) के अधीन राष्ट्रपति को एक याचिका प्रस्तुत की है ,

और राष्ट्रपति ने उक्त अधिनियम की धारा 8क की उपधारा (3) के अनुसरण में उक्त याचिका पर निर्वाचन आयोग की राय मांगी है ,

और निर्वाचन आयोग ने अपनी यह राय (उपाबन्ध देखिए) दी है कि निर्वाचित उम्मीदवार की उक्त अधिनियम की धारा 8क (2) के अधीन दी गई याचिका नामंजूर कर दी जाये ,

अतः अब, मैं, नीलम संजीव रेड्डी, भारत का राष्ट्रपति, उक्त अधिनियम की धारा 8क की उपधारा (3) के अधीन मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त श्री के० मधुसूदन रेड्डी की याचिका नामंजूर करता हूं ।

राष्ट्रपति भवन,
नई दिल्ली,
31 जनवरी, 1978

नीलम संजीव रेड्डी,
भारत का राष्ट्रपति

उपाबन्ध

भारत के निर्वाचन आयोग के समक्ष

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8क (2) के साथ पठित धारा 8क(3) के अधीन श्री के० मधुसूदन रेड्डी, आन्ध्र प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य के मामले के संबंध में राष्ट्रपति से प्राप्त निर्देश के विषय में।

राय

यह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (जिसे इसमें आगे 'अधिनियम' कहा गया है) की धारा 8क(2) के साथ पठित धारा 8क(3) के अधीन भारत के राष्ट्रपति से निर्वाचन आयोग को प्राप्त एक निर्देश है । श्री के० मधुसूदन रेड्डी का (जिन्हें इसमें आगे निर्वाचित अभ्यर्थी कहा गया है) 1972 में आंध्र प्रदेश विधान सभा के लिये निर्वाचन, निर्वाचित अभ्यर्थी द्वारा अधिनियम की धारा 123(4) के अधीन भ्रष्ट आचरण के आधार पर उच्चतम न्यायालय द्वारा अपास्त कर दिया गया था । उच्चतम न्यायालय का निर्णय उस न्यायालय द्वारा (आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष 1972 की निर्वाचन अर्जी सं० 7 से उत्पन्न 1973 की सिविल अपील सं० 389 में) तारीख 20 दिसम्बर, 1974

को दिया गया था । उस निर्णय के कानूनी परिणामस्वरूप, श्री मधुसूदन रेड्डी अधिनियम की धारा 8क, जैसी वह निर्वाचन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 (1975 का 40) के ठीक पहले थी, के अधीन संसद् या किसी राज्य विधान मडल के किसी सदन का सदस्य चुने जाने या होने के लिये 6 वर्ष की अवधि के लिये निरर्हित हो गये और उनकी यह निरर्हता 19-12-1980 तक बनी रहेगी । अब निर्वाचित अभ्यर्थी द्वारा अपनी निरर्हता की अवधि के शेष भाग के लिये निरर्हता हटाये जाने के लिये राष्ट्रपति को प्रस्तुत की गई अर्जी पर आयोग की राय मागी गई है :

2 मामले के तथ्य सक्षेप मे इस प्रकार है —

(i) निर्वाचित अभ्यर्थी 1972 मे आध्र प्रदेश विधान सभा के साधारण निर्वाचन मे चेन्नूर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय अभ्यर्थी के रूप मे खड़ा हुआ था । उसने अपने प्रतिद्वंदी अभ्यर्थी श्रीमती एन० विमला देवी को, जो काग्रेस की अभ्यर्थी थी, 1714 मतो से पराजित किया और उसे निर्वाचित घोषित किया गया था । उसके निर्वाचन को श्रीमती एन० विमला देवी ने आध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष 1972 की निर्वाचन अर्जी स० 7 द्वारा चुनौती दी थी । उस अर्जी मे यह अभिकथन किया गया था कि निर्वाचित अभ्यर्थी, उसके अभिकर्ता और निर्वाचित अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता की सहमति से अन्य व्यक्तियो ने ऐसे विभिन्न कार्य किये जो अधिनियम की धारा 123(1),(2), (3), (3क), (4), (5), (6) और (7) मे यथापरिभाषित भ्रष्ट आचरण, है । उच्च न्यायालय ने अर्जी के विचारण के लिये 20 विवाद्यक बनाये किन्तु उन सभी विवाद्यको का उत्तर निर्वाचित अभ्यर्थी के पक्ष मे दिया तदनुसार उच्च न्यायालय ने अपने तारीख 22-12-1972 के निर्णय और आदेश द्वारा अर्जी खारिज कर दी ।

(ii) अपील किये जाने पर, उच्चतम न्यायालय ने इसके समक्ष जोर दिये गये विवाद्यको में से एक विवाद्यक पर जो अधिनियम की धारा 123(4) के अर्थ मे निर्वाचित अभ्यर्थी द्वारा या उसकी प्रेरणा से श्रीमती एन० विमला देवी के विरुद्ध मानहानिकारक पुस्तिका के प्रकाशन और वितरण के सबध मे था, दिये गये साक्ष्य पर फिर से विचार किया । उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि उच्च न्यायालय ने मौखिक साक्ष्य के गुण विवेचन में एक गलत रुख अपनाया और श्रीमती एन० विमला देवी द्वारा दिये गये साक्ष्य को पक्षपातपूर्ण मान कर अविश्वसनीय माना था, किन्तु निर्वाचित अभ्यर्थी के साक्षियों के साक्ष्य के मूल्याकन मे इसी प्रकार का मानक लागू नही किया । उक्त विवाद्यक पर दिये गये साक्ष्य पर फिर से विचार करने पर उच्चतम न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुचा कि जिस मानहानिकारक पुस्तिका पर आक्षेप किया गया है वह निर्वाचित अभ्यर्थी की प्रेरणा पर मुद्रित और वितरित की गई थी । तदनुसार, उच्चतम न्यायालय ने निर्वाचित अभ्यर्थी को अधिनियम की धारा 123(4) के अधीन भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया और तारीख 20-12-1974 को उसका निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया । परिणामस्वरूप निर्वाचित अभ्यर्थी धारा 8क, जैसी कि वह उस समय थी, के अधीन 6 वर्ष की अवधि अर्थात् 19-12-1980 तक के लिये निरर्हित हो गया ।

3 निर्वाचित अभ्यर्थी ने अपनी निरर्हता की शेष अवधि के लिय निरर्हता हटाये जाने के लिये राष्ट्रपति को तारीख 24 अक्तूबर, 1977 को यह अर्जी प्रस्तुत की थी । तारीख 9 दिसम्बर, 1977 को निर्वाचित सदस्य अपने काउन्सेल के साथ मेरे समक्ष वैयक्तिक सुनवाई के लिए उपस्थित हुआ । काउन्सेल ने आग्रह किया कि निम्नलिखित बातो को देखते हुए निर्वाचित अभ्यर्थी की निरर्हता हटा ली जानी चाहिये, अर्थात —

(i) यह कि निर्वाचित अभ्यर्थी पर पुस्तिका के मुद्रण और वितरण का दायित्व प्रतिनिधायी रूप मे निश्चित किया गया है,

(ii) यह कि निर्वाचित अभ्यर्थी एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता और जन सेवक है जिस पर किसी प्रकार का कलक नही है तथा वह सगठन और नेतृत्व के प्रति वफादार रहा है ।

(iii) यह कि वह 10 वर्ष तक पचायत समिति का अध्यक्ष रहा किन्तु विधान सभा मे अपना स्थान बनाये रखने के लिये उसे आध्र प्रदेश विधान सभा के सदस्य के रूप मे अपना निर्वाचन होने पर, उक्त पद से त्यागपत्र देना पड़ा । उच्चतम न्यायालय का निर्णय बहुत कठोर है क्योंकि वह विधान सभा से भी अपना स्थान खो बैठा है और अब वह किसी सार्वजनिक पद पर नही है ।

(iv) यह कि यदि इस समय उसकी निरर्हता हटाई नहीं जाती है और राज्य विधान सभा के अगले वर्ष के आरम्भ मे होने वाले साधारण निर्वाचन को लड़ने के लिये उसे पात्र नहीं बनाया जाता तो वह वास्तव मे 6 वर्ष से बहुत अधिक अवधि के लिये निरर्हित रहेगा । क्योंकि उसके पश्चात् कई वर्ष तक निर्वाचन होने की सभावना नही होगी ।

4 मैंने निर्वाचित अभ्यर्थी की ओर से पेश की गई उक्त दलीलों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है । जैसा कि यह आयोग इसके पूर्व कई बार कह चुका है, आयोग ऐसे मामलो मे न्यायालय के निष्कर्षों से आबद्ध है और वह उस मामले के गुणागुण पर, जो पक्षकारों द्वारा न्यायालय के समक्ष रखा गया, विचार नही कर सकता है । आयोग को ऐसे मामलो में जो बात देखनी होती है वह यह है कि क्या ऐसी कोई अवशमनकारी परिस्थितिया है जो छह वर्ष की पूर्ण अवधि पूरी होने के पूर्व उसकी निरर्हता हटाने के लिये राष्ट्रपति की वैवेकिक शक्तियो के प्रयोग का समुचित आधार है । मै इस मामले मे राष्ट्रपति द्वारा उक्त वैवेकिक शक्ति के प्रयोग के लिये ऐसी कोई अवशमनकारी परिस्थिति या विशेष कारण नही पाता हू और न निर्वाचित अभ्यर्थी मुझे अपनी उक्त दलीलो मे किसी ऐसी अवशमनकारी परिस्थिति बताने में समर्थ रहा है । निर्वाचित अभ्यर्थी अपने ही कथन के अनुसार एक लम्बे अर्से से सार्वजनिक जीवन मे सक्रिय रहा है और इसलिये उसे यह मालूम होना चाहिये कि स्वस्थ राजनीतिक वातावरण बनाये रखने के लिये यह पूर्णतः आवश्यक है कि किसी भी व्यक्ति को अपने विरोधी का चरित्र हनन नही करना चाहिये । इस प्रयोजन के लिये, इस बात से कोई महत्वपूर्ण अन्तर नही पड़ता है कि मानहानिकारक सामग्री किसी व्यक्ति ने स्वय प्रकाशित या वितरित की है या ऐसा उसकी प्रेरणा पर किया गया है । जहा तक निर्वाचित अभ्यर्थी की, उसके सगठन और नेतृत्व के प्रति निष्ठा सबधी दलील का सबध है यह कहना पर्याप्त होगा कि उसने मेरे समक्ष वैयक्तिक सुनवाई के समय यह स्वीकार किया कि निर्वाचन के पूर्व वह काग्रेस दल का सदस्य था किन्तु उसने उक्त दल द्वारा नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थी के विरुद्ध निर्वाचन लड़ने के लिये उक्त दल छोड़ दिया था । इसके अतिरिक्त निर्वाचित अभ्यर्थी की यह दलील कि उसके पास कोई सार्वजनिक पद नही रहा है, निरर्हता हटाई जाने के लिये कोई आधार नहीं है क्योंकि सार्वजनिक पद धारण करना निष्कपट जनसेवा के लिये पूर्वापेक्षा नही है । इसी प्रकार यह दलील भी कि 1978 के आरम्भ मे होने वाले अगले साधारण निर्वाचन के पश्चात् अनेक वर्षों तक निर्वाचन नही हो सकेंगे, निरर्हता को, जो कि साधारण अनुक्रम मे वर्ष 1980 के अन्त तक चलेगी लगभग तीन वर्ष पहले ही समाप्त कर देने के लिये पर्याप्त कारण नही है । पूर्वोक्त बातो को ध्यान मे रखते हुए मेरी राय यह है कि निर्वाचित अभ्यर्थी की निरर्हता

की समय से पूर्व नहीं हटाया जाना चाहिये और वह 6 वर्ष की पूरी अवधि के लिये बनी रहने दी जाये। हाल ही में, एक अन्य मामले में (जो कि पंजाब के एक भूतपूर्व विधायक श्री जसदेव सिंह से संबंधित है) जो एक पुस्तिका के प्रकाशन से संबंधित इसी प्रकार का मामला था, और जिसमें अधिनियम की धारा 123(3) और (3क) के उपबन्धों का उल्लंघन किया गया था, आयोग द्वारा दी गई राय पर राष्ट्रपति ने निरर्हता हटाये जाने की अर्जी नामंजूर कर दी थी।

5 अन्त में, मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि निर्वाचन क्षेत्र के कुछ मतदाताओं ने जिनका प्रतिनिधित्व श्री एम० वेंकटनरसू, अध्यक्ष, किसान सेवा सोसाइटी (रजि०) [फार्मर्स सर्विस सोसाइटी (रजि०)], कोडाकान्डला, वारंगल, जिला (आ०प्र०) ने किया था, आयोग को यह अभ्यावेदन किया था कि निर्वाचित अभ्यर्थी श्री के० मधुसूदन रेड्डी की इस अर्जी को मंजूर नहीं किया जाना चाहिये। मैं, श्री मधुसूदन रेड्डी की मूल अर्जी पर इसके पूर्व अभिव्यक्त अपनी राय को ध्यान में रखते हुए उनके अभ्यावेदन में बताये गये आधारों का उल्लेख नहीं करना चाहता।

6 तदनुसार, मैं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8क(3) के अधीन यह राय देता हूं कि श्री के० मधुसूदन रेड्डी द्वारा उपगत निरर्हता उक्त अधिनियम की धारा 8क(2) के अधीन राष्ट्रपति द्वारा न हटाई जाये।

नई दिल्ली, एम० एल० शकधर
15 दिसम्बर, 1977 भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त

[सं० एफ० 7(3)/78-वि०-II]

के० के० सुन्दरम्, सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS

(Legislative Department)

ORDER

New Delhi, the 7th February, 1978

S.O. 78(E).—The following Order made by the President is published for general information :—

Whereas Shri K. Madhusudan Reddy, a returned candidate to the Legislative Assembly of the State of Andhra Pradesh at the general elections held in 1972, has incurred disqualification for a period of six years under section 8A of the Representation of the People Act, 1951 (thereinafter referred to as the said Act) as it stood immediately before the commencement of the Election Laws (Amendment) Act, 1975 (40 of 1975)

And whereas the said period of disqualification has not expired;

And whereas the said Shri K. Madhusudan Reddy has submitted a petition to the President under sub-section (2) of section 8A of the said Act for the removal of the disqualification for the unexpired portion of the said period;

And whereas the President has sought the opinion of the Election Commission on the said petition in pursuance of sub-section (3) of section 8A of the said Act;

And whereas the Election Commission has given its opinion (vide Annexure) that the petition of the returned candidate under section 8A(2) of the said Act be rejected;

Now, therefore, I, Neelam Sanjiva Reddy, President of India, in exercise of the powers conferred on me under sub-section (3) of section 8A of the said Act do hereby reject the petition of the said Shri K. Madhusudan Reddy.

NEELAM SANJIVA REDDY,
President of India

Rashtrapati Bhavan,
New Delhi,
January 31, 1978.

ANNEXURE

BEFORE THE ELECTION COMMISSION OF INDIA

In re :—Reference from the President under Section 8A(3) read with Section 8A(2) of the Representation of the People Act, 1951 regarding the case of Shri K. Madhusudan Reddy, ex-member of Andhra Pradesh Legislative Assembly.

OPINION

This is a reference to the Election Commission from the President of India under Section 8A(3) read with Section 8A(2) of the Representation of the People Act, 1951 (hereinafter referred to as the Act). The election of Shri K. Madhusudan Reddy (hereinafter referred to as the returned candidate) to the Legislative Assembly of Andhra Pradesh in 1972 had been set aside by the Supreme Court on the ground of commission of corrupt practice under section 123(4) of the Act by the returned candidate. The decision of the Supreme Court (in Civil Appeal No. 389 of 1973 arising out of election Petition No. 7 of 1972 before the Andhra Pradesh High Court) was given by that Court on 20 December, 1974. As a legal consequence of that decision, Shri Madhusudan Reddy incurred disqualification under section 8A of the Act, as it stood immediately before the Election Laws (Amendment) Act, 1975 (40 of 1975), for being chosen as, and for being a, member of either House of Parliament or of a State Legislature for a period of six years and his disqualification subsists upto 19-12-1980. The opinion of the Commission is now sought on a petition submitted by the returned candidate to the President for removal of the disqualification for the unexpired portion of the period of his disqualification.

2. The brief facts of the case are as follows :—

(i) The returned candidate stood as an independent candidate from the Chennur Assembly Constituency at the general election to the Andhra Pradesh Legislative Assembly held in 1972. He defeated his rival candidate Smt. N. Vimla Devi, a Congress candidate, by a margin of 1714 votes and was declared elected. His election was challenged by Smt. N. Vimla Devi before the Andhra Pradesh High Court by election petition No. 7 of 1972 in which it was alleged that the returned candidate, his agents and other persons with the consent of the returned candidate or his election agent, had committed various acts which constitute corrupt practices as defined in sections 123(1), (2), (3), (3A), (4), (5), (6) and (7) of the Act. The High Court framed 20 issues for the trial of the petition; but answered all those issues in favour of the returned candidate. Accordingly, the High Court dismissed the petition by its judgment and order dated 22-12-1972.

(ii) On appeal, the Supreme Court re-appraised the evidence afresh on one of the issues pressed before it relating to publication and distribution of a defamatory pamphlet within the meaning of section 123(4) of the Act against Smt. N. Vimla Devi by or at the instance of the returned candidate. The Supreme Court observed that the High Court had adopted an erroneous approach in the appreciation of the oral evidence and also had disbelieved the evidence led by Smt. N. Vimla Devi as being partisan but did not apply a like standard in assessing the evidence of the witnesses of the returned candidate. On reappraisal of the evidence on the abovesaid issue, the Supreme Court came to the conclusion that the impugned defametory pamphlet was printed and distributed at the instance of the returned candidate. Accordingly, the Supreme Court found the returned candidate guilty of the

commission of corrupt practice under section 123(4) of the Act and declared his election void on 20-12-1974. Consequently, the returned candidate also incurred disqualification under section 18A, as it then stood, for a period of 6 years, i.e., upto 19-12-1980.

3. The returned candidate has submitted the present petition on 24 October, 1977, to the President for removal of disqualification for the unexpired portion of the period of his disqualification. On 9 December, 1977, the returned candidate along with his Counsel appeared before me for a personal hearing. The Counsel urged that the disqualification of the returned candidate may be removed in the light of the following submissions :—

(i) that the liability for publication and distribution of pamphlets has been affixed on the returned candidate vicariously;

(ii) that the returned candidate has been an active social worker and servant of the public with spotless public career marked with faithfullness to the organisation and leadership;

(iii) that he had been the President of the Panchayat Samithi for 10 years; but had to resign that office on his election as member of the Andhra Pradesh Legislative Assembly to retain his seat in the Assembly. The result of the Supreme Court's decision has been very harsh inasmuch as he has lost his seat in the Assembly also and now he is without any public office;

(iv) that if his disqualification is not removed now and he is not made eligible to contest the next general election to the State Assembly which is due to be held early next year, he will virtually remain disqualified for much longer period than 6 years as no election might be held thereafter for a number of years.

4. I have carefully considered the above submissions made on behalf of the returned candidate. As the Commission has already stated many times before, the Commission is bound by the findings of the Courts in such matters and cannot go into the merits of the case as made out by the parties before the Court. What the Commission has to look into in such cases is whether there are any mitigating circumstances which warrant the exercise of the discretionary power of the President to remove the disqualification before it has run its full period of 6 years. I do not find any such mitigating circumstance or special reason for exercise of the above discretionary power by the President in the present case. Nor has the returned candidate been able to show me any such mitigating circumstance in his above submissions. The returned candidate, according to his own case, has been active in public life for a long time and he ought to know that for the maintenance of healthy political atmosphere it is absolutely necessary that no one indulges in character assassination of his opponents. And for this purpose, whether the defamatory material is published or distributed by a person himself or at his instance does not make any material difference. As regards the submission of the returned candidate about his faithfulness to the organisation and leadership, it will suffice to say that he admitted before me at the personal hearing that he was a member of the Congress party before the election but left that party to fight the election against the official candidate put up by that party. Further the plea of the returned candidate that he has been without any public office is hardly a ground for removal of the disqualification as the holding of a public office is not the prerequisite for sincere public service. Likewise, the plea that the elections might not take place for a number of years after the next general election due early in 1978 is also not a sufficient reason for removing the disqualification about 3 years in advance which will in ordinary course run upto the end of the year 1980. In view of the foregoing, I am of the opinion that the disqualification of the returned candidate should not be removed prematurely and should be allowed to subsist for the full period of 6 years. Recently, in another case (of Shri Jasdev Singh Sandhu, an ex-MLA from Punjab) which was like case of publication of pamphlet which offended the provisions of sections 123(3) and (3A) of the Act, the petition for the removal of the disqualification has been rejected by the President on the opinion tendered by the Commission.

5. In passing, I may mention that some voters of the constituency represented by one Shri Venkatanarasu, President, Farmers Service Society (Regd.), Kodakandla, Warrangal District (A.P.) represented to the Commission that the present petition of the returned candidate Shri K. Madhusudan Reddy should not be accepted. I do not propose to refer to the grounds urged in their representation in view of my opinion as expressed above on the main petition of Shri Madhusudan Reddy.

6. I, accordingly, hereby tender my opinion under section 8A(3) of the Representation of the People Act, 1951, that the disqualification incurred by Shri K. Madhusudan Reddy should not be removed by the President under section 8A(2) of the said Act.

S. L. SHAKDHER, Chief Election Commissioner of India

New Delhi :
15th December, 1977.

[No. F. 7(3)/78-Leg.II]
K. K. SUNDARAM, Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1978